विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

विशिष्ट महत्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु 30 प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में 5 विशेष क्षेत्रों विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। इनमें से वर्तमान में 2 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आवास विभाग के अधीन हैं जबकि शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पर्यावरण विभाग के अधीन तथा चित्रकूट व पिपरहवा (कपिलवस्तु) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पर्यटन विभाग के अधीन हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप निम्नानुसार हैं :-

(1) विशेष विकास क्षेत्र के लिए योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना,

(2) विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना,

(3) अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना,

(4) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विशेष क्षेत्र का नगरपालिकीय प्रबन्ध के लिए उसी रीति से उपबन्ध करना, जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित है।